



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित .

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2018/चैत्र 21, 1940

No. 233]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2018/CHAITRA 21, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2018

**सा.का.नि. 361(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ), ज्येष्ठ सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ) और उप-निदेशक (कारपोरेट लॉ) भर्ती नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ), ज्येष्ठ सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ) और उप-निदेशक (कारपोरेट लॉ), भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ), ज्येष्ठ सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ) और उप-निदेशक (कारपोरेट लॉ) भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विहित हैं”।

3. उक्त नियमों के अनुसूची में, -

(अ) क्रम संख्या 1 में, सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ) के पद के सामने, -

(i) स्तंभ (4) में,-

(क) शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान।";

(ख) विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47,600-1,51,100 रु.।";

(ii) स्तंभ (7) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में बैचलर डिग्री; या
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में एकीकृत बैचलर डिग्री (पांच वर्ष की); या
- (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान से कंपनी सचिव;

वांछनीय -

- (i) कारपोरेट लॉ के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव;
- (ii) साक्ष्य संग्रह या कथनों की रिकार्डिंग में और कार्यवाहियों में साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपकरणों और तकनीकों से सुपरिचित हो।

टिप्पण 1 : अर्हताएं, सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।";

(iii) स्तंभ (11) में, उप-शीर्ष 'प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त निकायों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या संस्थानों के ऐसे अधिकारी,-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7, 44,900-1,42,400 रु. में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6, 35,400-1,12,400 रु. में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी";

(आ) क्रम संख्या 2 में, ज्येष्ठ सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ) के पद के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् -

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10, 56,100-1,77,500 रु.।"

(ii) स्तंभ (11) में, -

(क) उप-शीर्ष 'प्रोन्नति' के अधीन -

- I. "वेतन बैंड-2," से प्रारंभ होने वाले शब्दों और "नियमित सेवा की हो" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47,600-1,51,100 रु. में ऐसे सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ) जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो।";

- II. टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-शीर्ष 'प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है)' के अधीन, -

- I. मद (क) में, उप-मद (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47,600-1,51,100 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7, 44,900-1,42,400 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो।";

(ग) उप-शीर्ष 'वांछनीय' के अधीन, टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;

- (इ) क्रम संख्या 3 में, उप-निदेशक (कारपोरेट लॉ) के पद के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11, 67,700-2,08,700 रु.।";

(ii) स्तंभ (11) में, -

(क) उप-शीर्ष 'प्रोन्नति' के अधीन,-

- I. "वेतन बैंड-3" से प्रारंभ होने वाले शब्दों और "सेवा कर चुके हैं" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स के स्तंभ 10, 56,100-1,77,500 रु. में ऐसे ज्येष्ठ सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ) जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है।";

- II. टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-शीर्ष 'प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है)' के अधीन, -

- I. मद (क) में, उप-मद (II) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद रखा जाएगा, अर्थात्-

"(II) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10, 56,100-1,77,500 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; और";

(ग) उप-शीर्ष 'वांछनीय' के अधीन, टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. ए-35011/28/2009-प्रशा.।।।]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 15 मार्च, 2016 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 299(अ), तारीख 14 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2018

G.S.R. 361(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, the Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Corporate Law), Senior Assistant Director (Corporate Law) and Deputy Director (Corporate Law), Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, the Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Corporate Law), Senior Assistant Director (Corporate Law) and Deputy Director (Corporate Law), Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Corporate Affairs, the Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Corporate Law), Senior Assistant Director (Corporate Law) and Deputy Director (Corporate Law) Recruitment Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

“3. Number of posts, classification, level in the pay matrix. - The number of posts, their classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule”.

3. In the said rules, in the Schedule, -

(A) In serial number 1, against the post of Assistant Director (Corporate Law), -

(i) in column (4),-

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

“Level in the pay matrix or pay scale.”;

(b) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level 8 in the pay matrix (Rs. 47,600 – 1,51,100).”;

(ii) in column (7), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Essential:

(i) Bachelor degree in Law from a recognised University or Institute; or

(ii) Integrated Bachelor degree in Law (Five Years) from a recognised University or Institute; or

(iii) Bachelor degree in any discipline from a recognised University or Institute and Company Secretary from the Institute of Company Secretaries of India;

Desirable:

(i) One year experience in the field of Corporate Law;

(ii) should be conversant with the tools and techniques of collection of evidence or recordings of statements and presentation of evidence in proceedings.

Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.”;

(iii) in column (11), under the sub-heading ‘Deputation (including short term contract)’, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Officers of the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or public sector undertakings or statutory or autonomous bodies or recognised Universities or institutes,-

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

- (iii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 7 in the pay matrix (Rs.44,900 – 1,42,400) or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 6 in the pay matrix (Rs.35,400 – 1,12,400) or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7).

Note 1: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years'.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the date of closing date of receipt of applications.”:

(B) in serial number 2, against the post of Senior Assistant Director (Corporate Law),-

- (i) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level 10 in the pay matrix (Rs.56,100 – 1,77,500).”;

- (ii) in column (11), -

(a) under the sub-heading 'Promotion',-

- I. for the words starting with “The Departmental Assistant Director” and ending with the words “thereto in the grade” , the following shall be substituted, namely:-

“Assistant Director (Corporate Law) in level 8 in the pay matrix (Rs.47,600 – 1,51,100) with two years' regular service in the grade.”;

II. Note 2 shall be omitted;

(b) under the sub-heading 'Deputation (including short term contract)',-

- I. in item (A) for sub-items (II) and (III) the following sub-items shall be substituted, namely:-

“(II) with two years' service in the grade rendered after appointment on regular basis in post in level 8 in the pay matrix (Rs.47600 – 151100) or equivalent in the parent cadre or department; or

(III) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in level 7 in the pay matrix (Rs.44,900 – 1,42,400) or equivalent in the parent cadre or department.”;

(c) under the sub-heading 'Desirable', Note 3 shall be omitted;

(C) in serial number 3, against the post of Deputy Director (Corporate Law),-

- (i) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level 11 in the pay matrix (Rs.67,700-2,08,700).”;

- (ii) in column (11),-

(a) under the sub-heading 'Promotion',-

- I. for the words starting with “Senior Assistant Director” and ending with the words “regular service in the grade”, the following shall be substituted, namely:-

“Senior Assistant Director (Corporate Law) in level 10 in the pay matrix (Rs.56,100-1,77,500) with two years' regular service in the grade.”;

- II. Note 2 shall be omitted;
- (b) under the sub-heading 'Deputation (including short term contract)',-
- I. in item (A) for sub-item (II), the following sub-item shall be substituted, namely:-
- "(II) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in level 10 in the pay matrix Rs.56,100 – 1,77,500 or equivalent in the parent cadre or department; and";
- (c) under the sub-heading 'Desirable', Note 3 shall be omitted.

[F. No. A-35011/28/2009-Ad.III]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note:-**The principal rules were published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 15<sup>th</sup> March, 2016 vide notification number G.S.R. 299(E) dated the 14<sup>th</sup> March, 2016.

RAKESH  
SUKUL

Digitally signed by RAKESH  
SUKUL  
Date: 2018.04.11 18:04:52  
+05'30'